न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 71/2025

अंजनीकुमार पुत्र श्रीनारायण उम्र 47 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डूंगरी कंला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

———अपीलान्ट

बनाम

1— ग्राम पंचायत डूंगरी कलां प0स0 जोबनेर जरिये सरपंच।

2— आविद अली खान पुत्र रोशन खान पठान आयु. 35साल

3— अब्वास खान पुत्र रोशन खान आयु. 25 साल

समस्त जाति मुसलमान निवासी पठानो का मोहल्ला ग्राम डूंगरी कलां, तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

———रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरणकरण आदेश ग्राम पंचायत डूंगरी कलां पंचायत समिति जोबनेर जिला जयपुर नामा0 संख्या 1995 दिनांक 27/03/2025 तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

(मुहर: अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर)

उपस्थित :— 1. श्री इलियास बाबू रंगरेज वकील अपीलान्ट

2. श्री बबलू कुमातव वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1

3. श्री आशीष कुमातव वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2

दिनांक :— 11/08/2025

निर्णय

अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट संक्षिप्त मे वाक्यात इस प्रकार हैं कि चालू जमाबंदी मे वर्णित खाता नंबर नया 2 पुराना 2 की आराजीयात खसरा नंबर 754/66 रकबा 0.4679 हैक्टेयर किस्म, बारानी—1, खसरा नंबर 756/66 रकवा 0.1012 किस्म बारानी—1, कुल किता 2 कुल रकबा 0.5691 हैक्टेयर वाके ग्राम डूंगरी कलां पटवार हल्का डूंगरीकलां गि0ह0 करणसर तह0जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित हैं। जिसके सम्पूर्ण रकबे की खातेदारी अपीलांट अंजनीकुमार पुत्र श्री श्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी डूंगरीकलां, तहसील जोबनेर जिला जयपुर के नाम दर्ज थी जिसका वह रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार अंकित था। अपीलांट ने रेस्पोडेन्टस

Neha
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

संख्या 2 व 3 को अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे से केवल खसरा नंबर 756/66 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि दिनांक 03/02/2025 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख विक्रय की थी। जिसका बेचान पत्र दिनांक 03/02/2025 केतागण रेस्पो0 नंबर 2 व 3 के पक्ष मे निष्पादित करा कर पंजियन करा दिया था । बेचान के अनुसार विक्रय की गयी आराजी खसरा नंबर 756/66 पर कब्जा केतागण का करायागया था।

उक्त बेचान पत्र दिनांक 03/02/2025 के आधार पर पटवारी हल्का मे नामा0 संख्या 1995 दिनांक 13/03/2025 को भरा था किन्तु सहवन से पटवारी द्वारा विक्रय किये गये खसरा नंबर 756/66 के साथ उक्त खाता नंबर 02 मे वर्णित अन्य खसरा नंबर 754/66 भी नामान्तरणकरण के कॉलम सं0 2 मे अंकित कर दिये और उक्त नामा0 ग्राम पंचायत को फारर्वड कर दिया गया, जो ग्राम पंचायत ने दिनांक 27/3/2025 को प्रस्ताव संख्या के अनुसार स्वीकार कर दिया। जिसके आधार पर खाता नंबर 02 मे वर्णित दोनो खसरा नंबरान की खातेदारी रेस्पो0नंबर 2,3, के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अंकित कर दी गयी। जब कि अपीलांट ने केवल खसरा नंबर 756/66 रकबा 0.1012 का ही बेचान किया था। उक्त नामा0 की अपीलांटस को कोई जानकारी नहीं हुयी। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 19/07/2025 को जमाबंदी व नामा0 की नकल लेने पर हुयी कि नामा0 संख्या 1995 मे खाता दोनो नंबरो का ही खुल गया है, जब कि अपीलांट ने उक्त खाता नंबर 2 की अन्य खसरा नंबर 754/66 की भूमि न तो बेचान की न उसका पंजियन मे इन्द्राज है। उक्त खसरा नंबर नामा0 सं0 1995 मे गलती से दर्ज होने के कारण नामा0 तसदीक होकर रेस्पो0 नंबर 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने से अपीलांट के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये और अपीलांट का हनन हो रहा है, जिससे अंसतुष्ट होकर अपील अपीलान्ट पेश की गयी है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत डूंगरी कलां का आदेश नामा0 संख्या 1995 दिनांक 27/03/2025 निरस्त फरमाया जावें व बेचान पत्र अनुसार नामा0 खसरा नंबर 756/66 रकबा 0.1012 वाके ग्राम डूंगरीकलां के सम्पूर्ण रकबे अंकन कर बैचान पत्र दिनांक 03/02/2025 के अनुसार नामा0 अंकन कर तसदीक किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 मय

अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। रैस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया कि चालू जमाबंदी मे वर्णित खाता नंबर नया 2 पुराना 2 की आराजीयात खसरा नंबर 754/66 रकबा 0.4079 हैक्टेयर किस्म, बारानी-1, खसरा नंबर 756/66 रकबा 0.1012 किस्म बारानी-1, कुल किता 2 कुल रकबा 0.5691 हैक्टेयर वाके ग्राम डूंगरी कलां पटवार हल्का डूंगरीकलां गि0हं0 करणसर तह0जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित हैं। अपीलांट अंजनी कुमार ने अपने कब्जो काश्त व खातेदारी की उक्त खाते की आराजीयात मे से केवल खसरा नंबर 756/66 रकबा 0.1012 हे0 की भूमि ही रैस्पा0 नंबर 2 व 3 को दिनांक 03.02.2025 को विक्रय किया था और बेचान में वर्णित एक खसरा नंबर 756/66 पर ही कब्जा दिया गया था। जिसका विवरण विक्रय विलेख दिनांक 03.02.2025 की सारणी मे अंकित है, पटवारी हल्का ने बेचान के आधार पर नामा0 भरते समय बेचान पत्र में अंकित सारणी का अवलोकन किये बिना ही खाता नंबर 2 मे वर्णित दोनो, खसरा नंबरान की भूमि का बेचान मे वर्णित तथ्यो के विपरित कॉलम नंबर 2 में अंकित कर दिया, जो विक्रय विलेख इन्द्राज के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः जवाब पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत डूंगरी कलां का नामान्तरण 1995 मे पारित आदेश दिनांक 27.03.2025 निरस्त फरमाया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2025 के अनुसार रैस्पो0 नंबर खोला जाकर स्वीकार किये जाने हेतु तहसीलदार तहसील जोबनेर को रिमाण्ड किए जाने की आज्ञा प्रदान करावें।

रैस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत डूगरीकंला का नामा0सं0 1995 मे पारित आदेश दिनांक 27/03/2025 निरस्त फरमाया जाकर विकय पत्र दिनांक 03/02/2025 के अनुसार रैस्पो0 सं0 2, 3 के नाम नामा0 खोला जाकर स्वीकार किये जाने हेतू तहसीलदारजी तहसील जोबनेर को रिमाण्ड किए जाने की आज्ञा प्रदान करे इसमे मे हम रैस्पोडेन्ट को कोई आपति नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रैस्पोडेन्टस द्वारा दौराने बहस अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 1995 दिनांक 27/03/2025 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। आराजी ख0न0 754/66, 756/66 वाके ग्राम डूंगरी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर)

कलां पटवार हल्का डूंगरी कलां भू0अभि0नि0क्षे0 करणसर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है। उक्त आराजीयात अपीलान्ट के नाम दर्ज थी जिसका वह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अंकित था। अपीलांट ने रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 को अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे से केवल खसरा नंबर 756/66 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि दिनांक 03/02/2025 को जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख विकय की थी। जिसका बैचान पत्र दिनांक 03/02/2025 केतागण रेस्पो0 नंबर 2 व 3 के पक्ष मे निष्पादित करा कर पंजियन करा दिया था। बेचान के अनुसार विकय की गयी आराजी खसरा नंबर 756/66 पर कब्जा केतागण का कराया गया था। उक्त बेचान पत्र दिनांक 03/02/2025 के आधार पर पटवारी हल्का ने नामा0 संख्या 1995 दिनांक 13/03/2025 को भरा था किन्तु सहवन से पटवारी द्वारा विक्रय किये गये खसरा नंबर 756/66 के साथ उक्त खाता नंबर 02 मे वर्णित अन्य खसरा नंबर 754/66 भी नामान्तरणकरण के कॉलम सं0 2 मे अंकित कर दिये और उक्त नामा0 ग्राम पंचायत को फारर्वड कर दिया गया, जो ग्राम पंचायत ने दिनांक 27/3/2025 को प्रस्ताव संख्या के अनुसार स्वीकार कर दिया। पत्रावली एवं जवाब रेस्पोडेन्टस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण सहवन से दर्ज हुआ है, जिसे खारिज करने हेतु ग्राम पंचातय डूंगरी कलां द्वारा प्रस्तुत जवाब अपील में भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः नामान्तरण संख्या 1995 आदेश दिनांक 27/03/2025 को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1995 आदेश दिनांक 27/03/2025 सरपंच ग्राम पंचायत डूंगरी कलां तहसील जोबनेर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देश दिये जाते है कि वो विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2025 की जांच कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करें। निर्णय प्रति तहसीलदार जोबनेर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा राठी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर